ई-डिस्टिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील शाहजहाँपुर

तिलहर आवेदन क्र० 231520030108284 222243001586 प्रमाणपत्र क्र॰

जारी दिनांक: 07/01/2024

प्रमाणित किया जाता है कि

माता का नाम

निवासी ग्राम

पत्नी

तहसील


स्रष्टि राठौर/srashti rathore

प्रशांत राठौर

रेन

,दिया खेड़ा दिया खेडा

तिलहर



यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्रष्टि राठौर/srashti rathore पूर्वीक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी॰ सी॰-III , दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है. से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है

तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: सुधीर कुमार,वयम जन सेवा केंद्र

पदः सुधीर कुमार, केन्द्र प्रभारी

स्थान : Village Diyakhera post Rajanpur

Tilhar ,तिलहर,फतेहपुर बुजुर्ग,तिलहर,तिलहर

दिनॉंक: 08/01/2024

हस्ताक्षर एंव मुहर

Jay Digitally Signed by Jay O=Personal, S=Uttar Prakash Pradesh Yaday

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित तिलहर,शाहजहाँपुर दिनॉंक:07/01/2024

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किय गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र॰ फिर प्रमाणपत्र क्र॰ अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।